<u>पत्रिकाओं में छपने योग्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 205/2023

[@ एसएलपी [सीआरएल] सं.8501/2022]

तलत सानवी ...अपीलार्थी

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य ....प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

<u>संजय किशन कौल, न्याया.</u>

प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

1. इस अपील में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या 'पीड़ित को दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे' को अग्रिम जमानत की कार्यवाही के दौरान एक शर्त के रूप में लगाया जा सकता है।

2. हमारा निश्चित मत है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में कानून का उल्लंघन किया गया है क्योंकि पीड़ित को दिया जाने वाला अंतरिम मुआवजा जमानत न्यायशास्त्र का भाग नहीं हो सकता।

3. यह मुद्दा पहले से ही साहब आलम @ गुड्डू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य -आपराधिक अपील संख्या 1318/2022, दिनांक 24.08.2022 तथा उधो ठाकुर एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य -आपराधिक अपील संख्या 1703-1704/2022 दिनांक 29.09.2022 के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों से स्पष्ट है।

4. साहब आलम मामले (ऊपर) में विचार करते समय हमने कई मामलों में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों पर विचार किया था, जिसमें अपराधों की प्रकृति के अनुसार जमानत की आवश्यकता पर विचार किए बिना ही केवल पर्याप्त धनराशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी और तब, यह निर्णय दिया गया था कि केवल इस कारण किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती कि वह व्यक्ति पैसे जमा करने में सक्षम है या भुगतान करने की क्षमता रखता है।

5. ऐसे सभी आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया गया और मामले वापस भेज दिए गए।

6. उधो ठाकुर (ऊपर) के मामले में भी "पीड़ित मुआवजा" शर्त/वाक्यांश के प्रयोग के पहलू को अनुचित पाया गया, क्योंकि गिरफ्तारी पूर्व जमानत की कार्यवाही कोई धन वसूली की कार्यवाही नहीं है।

7. यह मामला उनसे भी एक कदम आगे है, क्योंकि यहां, पैसे का भुगतान/पैसा जमा करना केवल अग्रिम जमानत के लिए केवल एक शर्त ही नहीं है, बल्कि अग्रिम जमानत की कार्यवाही में ही पीड़ित को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश है।

8. पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे संबंधी मामले का इतिहास देखने पर हम पाते हैं कि 1960 के दशक में 'पीड़ितवाद' (विक्टिमोलॉजी) आंदोलन के द्वारा मौद्रिक मुआवजे का रास्ता तैयार किया गया और इस तरह के मुआवजे को आपराधिक अभियोगों के अनुशीलन में पीड़ितों के सहयोग से जोड़कर सरकारों को प्रोत्साहन दिया। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों ने पीड़ितों को मुआवजा देना शुरू कर दिया और इस प्रकार, आपराधिक अभियोजन में मुआवजे की सहभागिता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 80 के दशक की शुरुआत में पीड़ितों के हित के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और पीड़ितवाद के अगुआ भी हुए। 'पीड़ितों के लिए न्याय' और 'शक्ति के दुरुपयोग' के मूलभूत सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा महासभा द्वारा सर्वसम्मति से 1985 में स्वीकार की गई (ग्रोएनहुइजसेन, 2014)। इस घोषणा से अपराध-पीड़ितों के विशेष अधिकारों तथा हकदारी के साथ-साथ मुआवजे के अधिकार को भी बल मिला।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने का प्रावधान तब है, जब कोई अदालत जुर्माना लगाती है या कोई ऐसी सजा (मौत की सजा सहित) देती है, जिसमें जुर्माना उस मामले में वर्णित परिस्थितियों का ही एक भाग हो। इसमें उप-धारा (2) के द्वारा एक सीमा भी निर्धारित की गई है कि जब किसी ऐसे मामले में जुर्माना लगाया जाता है, जो अपील के योग्य है, तो अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले उक्त मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा और यदि अपील की जाती है, तो अपील का निर्णय किए जाने तक उक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। उप-धारा (3) के अनुसार यह मुआवजा उस व्यक्ति (पीड़ित) के लिए है, जिसे उस अपराध के कारण नुकसान हुआ है या चोट लगी है, जिसके लिए अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। उप-धारा (4) में अपीलीय अदालत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

10. हमने जो ऐसा निर्धारित किया है, इसका अर्थ यह है कि आरोपित अपराध पर दिए गए अंतिम निर्णय अर्थात वह अपराध उसी तरह से कारित किया गया है या नहीं, इसके निर्णय के समय ही पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवजा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पूर्व अथवा मामले पर विचारण से पहले ही किसी प्रकार का मुआवजा लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

11. धर्मेश बनाम गुजरात राज्य के मामले में इसी न्यायालय के एक हालिया फैसले में भी यही कहा गया था कि धारा 357 को सामान्य रूप से पढ़ने से ही यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का मुआवजा केवल विचारण पूर्ण होने के बाद ही लगाया जा सकता है, तथापि यह निश्चित रूप से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि आरोपी, मृतक (पीड़ित) के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे की राशि का भुगतान करे, और वह भी जमानत की एक शर्त के रूप में, बिलकुल स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, इसे तर्क के आधार पर खारिज किया जाता है।

12. न्यायालय ने कहा है कि उद्देश्य स्पष्ट है कि शारीरिक अपराधों के मामलों में, पीड़ित को मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसी तरह, अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए भी मुआवजे

का प्रावधान किया गया है, जहां अनावश्यक आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई हो। इस तरह के मुआवजे को भी जमानत देते समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

13. इस तरह के न्यायिक दुस्साहस को स्वीकार न करते हुए, हमें अग्रिम जमानत देने के आक्षेपित आदेश में लगाई गई इस शर्त को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। यद्यपि अन्य बातों को बरकरार रखा जाता है।

14. तदनुसार, इस अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

.....न्याया.।

[संजय किशन कौल]

..... न्याया.।

[अभय एस. ओका]

नई दिल्ली

जनवरी 24, 2023

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।